न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल (आर0ए0एस0)

अपील संख्या :– 61/2016 (223 आर0टी0एक्ट0)
आरसीएमएस संख्या :– 2016/00268

उनवान

1. ज्वालाप्रसद पुत्र भगवान सिंह
2. शकुन्तला देवी पत्नी भगवती प्रसाद
3. रामवाला पत्नी मुकेश कुमार
4. मुकेश कुमार } पुत्र भगवती प्रसाद
5. मनोज कुमार }
6. गजेन्द्र कुमार }

अकवाम ब्राहम्ण निवासी ग्राम शास्त्रनगर तह0 सैपऊ।

7. ममतेश कुमारी पुत्री भगवती प्रसाद पत्नी नीरज कुमार जाति ब्राहम्ण निवासी हाल गोहदूपुरा तहसील राजाखेडा
8. प्रवीण कुमार } नाबालिगान पुत्र व पुत्री भगवतीप्रसाद सरपरस्ती मॉ शकुन्तला देवी ब्राहम्ण
9. कृष्णा कुमारी } निवासी शास्त्रनगर तहसील सैपऊ धौलपुर।

.....अपीलाण्ट

बनाम

1. ब्रजकिशोर शर्मा पुत्र श्री भगवान सिंह जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम शास्त्रनगर तहसील सैपऊ हाल निवासी ग्राम अयेला तहसील खैरागढ आगरा(यूपी)
2. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार सैपऊ।

..... रैस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 16.06.2016 प्रकरण संख्या 72/2014 उनवान ब्रजकिशोर बनाम ज्वालाप्रसाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सैपऊ।

अभिभाषकगण :–

1. श्री नैमीचन्द रावत अभिभाषक अपीलाण्ट उपस्थित।
2. श्री शिवकिशोर शर्मा अभिभाषक रैस्पो0 उपस्थित ।

निर्णय

दिनांक :–18.01.2022

1. यह अपील इस न्यायालय में उपखण्ड अधिकारी, सैपऊ के निर्णय दिनांक 16.06.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी/रैस्पो0 ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादी/अपीलाण्ट इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके ग्राम शास्त्रनगर तहसील सैपऊ में वादीगण एवं प्रतिवादीगण मुताबिक हिस्सा सहखातेदार काश्तकार हैं। विवादित आराजी का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड विभाजन नहीं हुआ है। अतः सम्मिलित काश्त करने में परेशानी आती है। अतः वाद प्रस्तुत कर विवादित आराजी का विभाजन करने का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ

भू-प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प-धौलपुर

न्यायालय ने उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई दिनांक 22.06.2015 से प्रारंभिक डिक्री किया जाकर विवादित आराजी के विभाजन प्रस्ताव तलव किये गये एवं तहसीलदार से प्राप्त कुर्रे प्रस्तावो के आधार पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.06.2015 से अन्तिम डिक्री कर दिया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलाण्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेण्ट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुये, बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों के सर्वथा विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने जिन कुर्रे प्रस्तावो के आधार पर दावा डिक्री किया है वह कुर्रे प्रस्ताव विधिवत नहीं है। उक्त कुर्रे प्रस्ताव अपीलाण्ट की बैक पर रैस्पो0 से साज कर बनाये गये हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त कुर्रे प्रस्तावो पर अपीलाण्ट को सुनवाई का कोई मौका नहीं दिया गया है। कुर्रे प्रस्तावो में अच्छी अच्छी भूमि रैस्पो0 को दी गयी है एवं उक्त कुर्रे प्रस्ताव स्वयं तहसीलदार द्वारा नहीं बनाये जाकर पटवारी हल्का द्वारा बनाये गये हैं। यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश राजस्व लोक अदालत में पारित किया है। जबकि राजस्व लोक अदालत में प्रकरण आपसी सहमति एवं राजीनामा के आधार पर ही निस्तारित हो सकते हैं। परन्तु हस्तगत प्रकरण में पक्षकारो के मध्य ना तो कोई राजीनामा हुआ है एवं ना ही कुर्रे प्रस्तावो पर अपीलाण्ट की सहमति ही रही है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को अपास्त करते हुये, प्रकरण पुनः उभयपक्ष को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर देते हुये, पुनः विधिवत कुर्रे प्रस्ताव तलव करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावें।

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप सही है। विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय अपीलाण्ट को विधिवत सूचना दी गयी है एवं अपीलाण्ट उपस्थित भी रहे हैं। परन्तु उन्होंनें कुर्रे प्रस्तावो पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। अपीलाण्ट का यह कहना गलत है कि कुर्रे प्रस्ताव तहसीलदार द्वारा नहीं बनाये गये हैं। कुर्रे प्रस्तावो पर नायब तहसीलदार के हस्ताक्षर अंकित हैं। कुर्रे प्रस्ताव विधिवत एवं अच्छी मे से अच्छी व बुरी में से बुरी भूमि के ही बनाये गये हैं। अतः अपीलाण्ट की समस्त आपत्तियॉ सारहीन हैं। अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न कुर्रे प्रस्तावो में, मौके पर दिनांक 15.06.2016 को जाना अंकित किया हुआ है। जबकि उक्त कुर्रे प्रस्तावो पर पटवारी हल्का एवं नायब तहसीलदार द्वारा दिनांक 16.06.2016 को हस्ताक्षर किया जाना जाहिर है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश भी दिनांक 16.06.2016 को ही पारित किया गया है। इससे स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षकारान को उक्त कुर्रे प्रस्तावो पर ना तो कोई सुनवाई का मौका दिया एवं ना ही उन पर आपत्ति प्रस्तुत करने का समय ही दिया गया है। इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय में यह अंकित किया है कि "विभाजन प्रस्तावो पर प्रतिवादीगण ने हस्ताक्षर करने से इंकार कर दिया। राजस्व लोक अदालत में पक्षकार उपस्थित आये" यहॉ यह उल्लेखनीय है कि राजस्थान सरकार के

पदेन
राजस्व अपील प्राधि.
भरतपुर कैम्प-धौलपुर

स्पष्ट निर्देश हैं कि राजस्व लोक अदालत में पक्षकारान की उपस्थिति एवं सहमति से प्रकरण निस्तारण किये जावेंगें परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान द्वारा सहमति/राजीनामा दिये जाने बाबत् कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। इसके विपरीत प्रतिवादी/अपीलाण्ट द्वारा कुर्रे प्रस्तावो पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को पक्षकारो को उक्त कुर्रे प्रस्तावो पर आपत्ति ली जाकर एवं प्राप्त आपत्तियों का विधिवत निस्तारण किया जाकर प्रकरण का निस्तारण करना चाहिये था, जो नहीं किया गया है। अतः इस प्रकार का निर्णय स्थिर रहने योग्य नहीं माना जा सकता। उपरोक्त विवेचनानुसार हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय राजस्व लोक अदालत की हडबडी में बिना न्यायिक प्रक्रिया पालन किये जल्दबाजी में पारित किया है। लिहाजा अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार योग्य पाते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सैपऊ के निर्णय व डिक्री दिनांक 16.06.2016 अपास्त किये जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को उभयपक्ष को कुर्रे प्रस्तावो पर सुनवाई का अवसर देते हुये एवं उक्त कुर्रे प्रस्तावो पर प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण करते हुये, विधिवत निर्णय पारित करने हेतु प्रेतिप्रेषित किया जाता है। उभयपक्ष को भी निर्देशित किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 21.02.2022 को वास्ते सुनवाई उपस्थित होवें। पत्रावली फैशल शुमार की जाकर, नम्बर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हों। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख, निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 18.02.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18-02-2022

(अखिलेश कुमार पिपल)
भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर